

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के 16 जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बी.पी.एल. राशन कार्ड, आवेदन फार्म एवं पंजीयों को छपाई हेतु राशि रूपये 57.31 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 57,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार उचित मुल्य दुकानों में केरोसीन भंडारण हेतु टंकिया उपलब्ध कराने हेतु एवं भावान्तर राशि से क्रय किये गये ड्रम/टैंक की लंबित राशि के भुगतान हेतु राशि रूपये 49.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 49,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।